न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

विशेष दाण्डिक वाद संख्या 74/2024

राज्य प्रति कल्लू आदि।
थाना कोतवाली देहात, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा–II, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्तगण **मुकेश, अरविन्द, प्रवीन व मक्खन लाल** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 01.09.2023 समय करीब 03 बजे, बहद स्थान हरिहरपुर रैकवारी, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप लोगों ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव कर बल्वा किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य भा०द०सं० की धारा 147 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी के परिजनों को लात, मुका व थप्पड़ से मार पीटकर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य भा०द०सं० की धारा 323/149 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में परिवादी के फूस के मड़हे में आग लगाकर रिष्टि कारित की। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 435/149 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा के घर में घुसकर गृह अतिचार किया। इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०सं० की धारा 452 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने परिवादी को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोग लोकशान्ति भंग कर सकता था। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने परिवादी को भयाक्रान्त करने की नियत से जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आप लोगों ने भा०द०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने परिवादी को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, के विरूद्ध अपराध किया। इस प्रकार आप लोगों का कृत्य धारा 3(1)(द ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा–II)
दिनांक 10–07–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा–II)
दिनांक 10–07–2026 विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

विशेष दाण्डिक वाद संख्या 74/2024

राज्य प्रति कल्लू आदि।
थाना कोतवाली देहात, बहराइच।

10–07–2026

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्तगण **मुकेश, अरविन्द, प्रवीन व मक्खन लाल** मय अधिवक्ता उपस्थित हैं तथा अभियुक्त कल्लू अनुपस्थित हैं।

अभियुक्त कल्लू की मृत्यु आख्या थाने से प्राप्त है। मृत्यु आख्या के साथ अभियुक्त कल्लू की ग्राम प्रधान हरिहर पुर रैकवारी वि०खं० हुजूरपुर, जनपद बहराइच द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त कल्लू की हो चुकी है। दिनांक 07.03.2026 को उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय का सी०डब्लू०–1 के रूप में बयान अंकित किया गया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में मृत्यु आख्या की पुष्टि किया है तथा यह भी कथन किया है कि अभियुक्त कल्लू की वास्तव में मृत्यु लगभग 03 महीने पहले हो चुकी है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अभियुक्त कल्लू के विरूद्ध उपशमित किया जाता है। अभियुक्तगण को लंच बाद आरोप के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हो।

विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०/एस०टी०एक्ट, बहराइच।

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण **मुकेश, अरविन्द, प्रवीन व मक्खन लाल** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।

विशेष लोक अभियोजक (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर सम्यक विचार करने के उपरान्त न्यायालय, इस मत का है कि अभियुक्तगण **मुकेश, अरविन्द, प्रवीन व मक्खन लाल** के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 147, 323/149, 452, 435/149, 504, 506 एवं धारा 3(1)(द ध), 3(2)(5ए) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 07.09.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।